न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री मदन पुत्र मांगूराम निवासी सांपोर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 18 /- 2018

निर्णय 29.5.18 दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 में सरहद सांपोर के खसरा नम्बर 232 में किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0009 है बीघा भूमि में चबूतरी लगा कर कमरा कर अतिकमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मदनराम से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक 29.5.18 को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा सांपोर के खसरा नम्बर 232 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0009 है. बीघा की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान में सिद्व होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति बीघा की दर से अतिकमित रकबा 0.0009 है बीघा भूमि के 0.0054 रूपये लगान का 50 गुणा / /– अक्षरे एक रुपया रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा